न्यायालय सहायक कलेक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आरएएस
प्रकरण संख्या :- 60 /19 ई0रै0

श्री लक्ष्मी लाल पिता लालूराम जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

बनाम वादी

1. श्री शान्तिलाल पिता लालूराम जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
2. श्रीमती कमला पिता लालूराम जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
3. श्रीमती हुडी पिता लालूराम जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
4 मु0भुरीबाई पत्नी लालूराम जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
5. श्री नारायण पिता खीमा जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
6. श्रीमती घीसी पिता खीमा जी जाति जणवा उम्र- वयस्क निवासी बडवल तहसील बडीसादडी
7. श्रीमान तहसीलदार सा0भुमीधारी जी बडीसादडी

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त. अधि.
वास्ते घोषणा

उपस्थित.
श्री गजेन्द्रसिंह झाला अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री दिनेश वेष्णव अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

// निर्णय // दिनांक :- / /24

वादी की ओर से एक वाद 88 राज0काश्त अधि0 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादीगण के कब्जेयाबी की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात मौजा बडवल तहसील बडीसादडी में खाता संख्या 273 की आराजी नम्बर 10, 124, 169, 237, 247, 256, 356, 599, 600, 964,1258,1615,1654 कुल किता 13 रकबा 2.22 हैक्टयर लगानी 35रू60 पैसा स्थित होकर उक्त आराजी पूर्व में खीमा जी के खातेदारी ... के दो पुत्र लालूराम व नारायण हुए तथा एक पुत्री घी... ई तथा उनकी पत्नी का नाम उँकारी बाई था ... दर्शाया है। तथा खीमा जी की मृत्यु के ... नामान्तरण ... के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

नाम 1/4,1/4 के हिस्सें अनुसार खोला गया। तथा लालूराम की मृत्यु के बाद विरासत से उसके वारीसान के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की गयी तथा उसके बाद वादी व उॅकारी बाई जो खीमा जी की पत्नी थी कि निर्वसयती मृत्यु हुई तथा उनका नाम हटा कर वादीव प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना था पर राजस्व कर्मी व निर्वितमान पटवारी द्वारा एक पुत्र नारायण व एक पुत्र घीसी बताकर नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जबकि लालूराम एक पुत्र ओर होकर उनके विधिक वारीसान वादी व प्रतिवादी कंमाक एक लगायत चार होकर उनके नाम भी विरासत से दर्ज होना चाहीये था जो नही किया जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में अब वादी व प्रतिवादी कंमाक एक लगायंत चार का सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नारायण का 1/3 हिस्सा व घीसीबाई का 1/3 हक हिस्सा अनुसार खातेदारी में दर्ज घोषित कराने का अधिकारी हैं तथा इसी अनुसार खातेदारी में दर्ज कराने की दाद वादी के द्वारा चाही गयी।

बाद जॉच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त कर अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया तथा वादी का वाद स्वीकार करते हुए 1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही जताई। चुकि प्रतिवादीगण की ओर से इकबालीया जवाब प्रस्तुत हुआ इस कारण तनकियात कायम नही की गयी तथा साक्ष्य वादी ली गयी साक्ष्य वादी में वादी ने स्वंय को परीक्षित कराया तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये गयें। प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से कोई मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी जिस पर उनकी साक्ष्य बन्द कर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया दौराने बहस वादी द्वारा कथन किया की वादी ने अपना वाद मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूरी तरह से साबित किया हैं तथा प्रतिवादीगण ने भी वादी के वाद का समर्थन किया हैं ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिकी किया जावे । वादी का वाद घोषणा का होकर न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादी ने अपना वाद पुरी तरह से साबित किया हैं। वादी द्वारा वाद में यह तथ्य अकिंत किया की उॅकारी बाई की मृत्यु के बद विरासत से उसका व अन्य प्रतिवादी का नाम भी लगना चाहीय था जो नही लगा तथा अकेल घीसीबाई का ही नाम दर्ज किया जो गलत हैं पत्रावली के अवलोकन से वादी व प्रतिवादी के जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

से यह स्वीकृत तथ्य हैं कि खीमा जी के दो पुत्र लालूराम व नारायण तथा एक पुत्री घीसीबाई हुई तथा उनकी पत्नी का नाम उॅकारी बाई था तथा खीमा जी की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरण चारो के नाम 1/4,1/4 के हिस्सें अनुसार खोला गया। तथा उॅकारी बाई की निर्वसती मृत्यु हुई तथा नामन्तरण संख्या 302 जो खोला गया वह विरासत से खोला गया तथा केवल नारायण व घीसीबाई का नाम ही दर्ज किया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत सभी पुत्र पुत्रि व मृतक पुत्र के पुत्र पुत्री भी प्रथम श्रेणी के वारीसान होकर विरासत से उनका भी हिस्सा बनता हैं तथा जो नामान्तरण खोला गया वह केवल दो वारीसान को बताते हुए खोला गया हैं जो गलत होकर वादी व प्रतिवादी कंमाक एक लगायत चार लालूराम के वारीसान हैं जिनका उक्त आराजी में हिस्सा होकर उनका नाम भी विरासत से दर्ज होना चाहीये था जो नही किया गया हैं तथा प्रतिवादीगण ने भी अपनी ओर से अनापत्ति जाहीर की हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मोखिक साक्ष्य से वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी लक्ष्मी लाल पिता लालूराम जी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है की मौजा बडवल में खाता संख्या 273 की आराजी नम्बर 10, 124, 169, 237,247,256,356,599, 600, 964,1258,1615,1654 कुल किता 13 रकबा 2.22 हैक्टयर में वादी लक्ष्मीलाल, प्रतिवादीगण शान्तिलाल, कमला,हुडी, मु0 भुरीबाई का सयुक्त रूप से 1/3 हक नारायण पिता खीमा का 1/3 हक व घीसीबाई का 1/3 हक हिस्से की घोषित की जाती इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदअनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

कल्पित शिवरान
उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलैक्टर
बडीसादडी

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

कल्पित शिवरान
उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलैक्टर
बडीसादडी

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 60/2019 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

लक्ष्मीलाल पिता लालूराम जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी ।

——वादी

बनाम

1– शान्तिलाल पिता लालूराम जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी
2– कमला पिता लालूराम जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी
3– हुडी पिता लालूराम जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी
4– मु. भुरीबाई पत्नी लालूराम जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी
5– नारायण पिता खीमा जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी
6– घीसी पिता खीमा जणवा नि. बडवल तह. बडीसादडी
7– तहसीलदार बडीसादडी

——प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री जी.एस. झाला तथा प्रतिवादी की ओर से श्री डी.के. वैष्णव उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बड़वल कि आराजी नं. 10, 124, 169, 237, 247, 256, 356, 599, 600, 964, 1258, 1615, 1654 कुल किता 13 रकबा 2.22 हैक्ट. में वादी लक्ष्मीलाल, प्रतिवादीगण शान्तिलाल, कमला, हुडी, मु. भुरीबाई का संयुक्त रूप से 1/3 हक नारायण पिता खीमा का 1/3 हक व घीसीबाई का 1/3 हक हिस्से की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।

यह आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(कल्पित शिवरान)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/200 दिनांक :20/08/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:55 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी